

मूल वाद में डिफेंडी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केस नोट) केम्प - रामपुरिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी R.A.S.

बलराज सिंह बनाम राजधान सकार डारि

दावा बाबत नाम डारि U/S 88 RTI

मुकदमा नम्बर :- 94/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से खेम को व प्रतिवादी ने और से प्रदीपका राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को श्री राहुल सैनी (राफ पीठासीन) (नाम पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चूरु के न्यायालय के निताम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफेंडी को यह है कि - वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाकर यह कि श्री राहुल सैनी रामपुरिया की जागतिकी खाना नं 76 में कारी का नाम हज्जारी सिंह पुत्र रजिरी राज सिंह के प्यार पर बलराज सिंह पुत्र अक्षिराज सिंह शक्ति कानू का आदेश दिया जाता है। तथ्यसदर, प्रक उम्मानुल्लाह एज्जल रिफाई में अदालत राफर करे।

खर्च पक्ष का रखना वहन करेगा।

यह आज तारीख 17-11-2021 को मेरे इस्ताफर से और न्यायाधीश के न्यायालय पर

दि गइ



श्री राहुल सैनी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

चूरु

वार्द	रकम	काया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. अदालत के लिए स्टाम्प		रफाई की फीस
4. अदालत पर अदालत की फीस		साक्षियों के लिए निवेदन खर्च
5. साक्षियों के लिए निवेदन खर्च		आदेशिका की तामाल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामाल		
जोड़		जोड़



नाम नं 1306
17-11-2021